रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274460
CG-DL-E-14072026-274460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3638] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 3638] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3800(अ).— यह कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत भारत में पंजीकृत पैराक्वॉट डाइक्लोराइड कीटनाशी के निरंतर उपयोग या अन्यथा की जांच के लिए 14 जनवरी 2026 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने विस्तृत जांच के पश्चात 12 जून 2026 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी;

और यह कि, केंद्र सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति से परामर्श किया है।

और यह कि, पंजीकरण समिति ने अनुशंसित अध्ययनों, डेटा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को प्रस्तुत करने की स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं;

और यह कि, पंजीकरण समिति ने अपनी सिफ़ारिश में यह बात नोट की है कि पैराक्वॉट डाइक्लोराइड 70 से भी अधिक देशों में प्रतिबंधित है या इसके उपयोग पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। समिति ने चिंता के कई और कारण भी बताए

हैं, जैसे कि दस्तावेज़ों के आधार पर सेहत पर इसका बुरा असर; ज़हर फैलने की लगातार घटनाएँ और इससे होने वाली ज़्यादा मौतें; और इसका कोई खास एंटीडोट (इलाज) न होना, इत्यादि।

और, यह कि रजिस्ट्रेशन समिति ने भारत में पैराक्वॉट डाइक्लोराइड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की है, अर्थात् कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के निर्माण, आयात, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की है;

और, यह कि केंद्र सरकार, पंजीकरण समिति की रिपोर्ट पर भली-भाँति विचार करने के पश्चात इस बात से संतुष्ट है कि पैराक्वॉट डाइक्लोराइड कीटनाशी के उपयोग से इंसानों और जानवरों को खतरा हो सकता है, इसलिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक या उचित है;

अतः, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उप-धारा 2 सपठित धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार जो प्रारूप आदेश तैयार करने का प्रस्ताव करती है, उसे एतदद्वारा उन सभी संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जा रहा है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही, यह सूचना भी दी जाती है कि इस आदेश वाले भारत सरकार के राजपत्र की प्रति सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिनों के बाद इस मसौदा आदेश पर विचार किया जाएगा।;

उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, इस प्रारूप आदेश के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इस प्रारूप आदेश के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव संयुक्त सचिव (वनस्तपति संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

प्रारूप आदेश

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को पैराक्वॉट डाइक्लोराइड (प्रतिबंध) आदेश, 2026 कहा जाएगा।;

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. पैराक्वॉट डाइक्लोराइड कीटनाशी पर प्रतिबंध:

(1) इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से कोई भी व्यक्ति पैराक्वॉट डाइक्लोराइड का आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग नहीं करेगा।

(2) पंजीकरण समिति पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस लेगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिनके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र है, खंड (2) में उल्लिखित पंजीकरण समिति को तीन माह की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र वापस करने में विफल रहता है, तो उक्त अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को इस आदेश की तारीख से रद्द माना जाएगा।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य में इस आदेश को लागू करने के लिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के अनुसार वे सभी आवश्यक कदम उठाएगी जो वह आवश्यक समझती है।

[फा. सं. 12078/01/2023-पीपी-I]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3800(E).— Whereas the Central Government in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare constituted an Expert Committee on 14 January 2026 to examine the continued use of or otherwise of Paraquat Dichloride insecticide registered in India which, after detailed examination submitted its report to the Central Government on the 12 June 2026;

And whereas, the Central Government, has undertaken consultation with the Registration Committee constituted under section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).

And whereas, the Registration Committee has submitted its recommendation with regard to status of submission of recommended studies, data and safety concerns;

And, whereas, the Registration Committee has noted in its recommendation that Paraquat Dichloride has been banned or severely restricted in more than 70 countries. It has further identified several areas of concern including documented adverse health effects; continued history of poisoning incidents and reported high fatalities; the absence of a specific antidote; among others.

And, whereas, the Registration Committee has recommended complete prohibition of Paraquat Dichloride in India, i.e. an immediate ban on the manufacture, import, transport, distribution, sale, and use of Paraquat Dichloride under the Insecticides Act, 1968;

And, whereas, the Central Government, after duly considering the report of the Registration Committee is satisfied that the use of Paraquat Dichloride insecticide is likely to involve risk to human being and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

Now therefore, the Draft Order, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft order shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government.

Any objection or suggestion in respect to the said draft Order may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT ORDER

1. Short title and commencement .- (1) This Order may be called the Banning of Paraquat Dichloride Order, 2026;

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Prohibition of Paraquat Dichloride Insecticide:

(1) No person shall import, manufacture, sale, transport, distribute and use Paraquat Dichloride from the date of publication of this Order.

(2) The Registration Committee shall call back the certificate of registrations granted for the Paraquat Dichloride.

(3) If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (2), within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.

(4) The certificate of registrations for the Paraquat Dichloride granted under section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled from the date of this order.

(5) Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this order in the state.

[F. No. 12078/01/2023-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.14 14:21:41 +05'30'